


20/11/20


पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीनी अधिवक्ता उपस्थित। विप्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई तथा बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। जिसमें पाया कि मूलवाद वादी साक्ष्य में विचाराधीन चल रहा है। इस कारण स्थगन आदेश को यथावत रखा जाना उचित प्रतीत होता है। हस्तगत प्रकरण में प्रथम द्वष्यता मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीनी के पक्ष में बनता है, क्योंकि विवादित आराजी का विधिवत निस्तारण नहीं होने तक यदि दौराने विचारण वाद विवादित आराजी को लेकर पक्षकारान के बीच वाद-विवाद हो जाता है, तो प्रकरण को निस्तारण किए जाने में कानूनी पेचीदिगीया बढेगी तथा अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीनी के पक्ष में बनता है। ऐसी सूरत में प्रार्थीनी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस नतीजे पर पहुंचा है कि प्रथम द्वष्यता मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति तीनों ही बिन्दु प्रार्थीनी के पक्ष में बनते हैं।

लिहाजा प्रार्थीनी का आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत साबित होने के कारण न्यायालय हाजा द्वारा जारी अन्तरिम स्थगन आदेश दिनांक


सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

24.4.2013 को मूलवाद के निर्णय तक कन्फर्म किया जाता है।
पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर
हो।


सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोत्तरा

20/11/11